



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052020-219356  
CG-DL-E-12052020-219356

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]  
No. 218]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2020/वैशाख 22, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2020/VAISAKHA 22, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2020

सा.का.नि. 292(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 जिसमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसकों सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

कोई आपत्तियां या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा [jspb-morth@gov.in](mailto:jspb-morth@gov.in); पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

### प्रारूप नियम

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (संशोधन ..... ) नियम, 2020 कहा जा सकता है।  
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसमें इसके पश्चात मूल नियमों के रूप में उल्लिखित) में मौजूदा प्रपत्र 22 के लिए निम्नलिखित प्रपत्र को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

#### “प्रपत्र 22

[नियम 47 (1) (छ) देखें]

उत्सर्जन और ध्वनि मानकों के अनुपालन

के लिये

#### सड़क-गुणता प्रमाण पत्र

(वाहन के साथ ई-रिक्षा या ई-कार्ट के मामले में निर्माता या आयातक या पंजीकृत एसोसिएशन द्वारा जारी किया जाए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित वाहन मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करता है:

1. वाहन का मॉडल / वाणिज्यिक नाम: \_\_\_\_\_

2. चेसिस संख्या: \_\_\_\_\_

(उदाहरण: - वाहन पहचान संख्या (वीआईएन) या एटीआईएन या पीआईएन / ट्रेलर पहचान संख्या आदि)

3. इंजन संख्या (मोटर संख्या, बैटरी-संचालित वाहनों के मामले में): \_\_\_\_\_

4. प्रयोज्य उत्सर्जन मानक: \_\_\_\_\_

(उदाहरण: - अधिनियम के तहत अनुमति दिए गए भारत स्टेज- IV / VI / भारत (ट्रेम) स्टेज- III / समकक्ष)

5. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अनुसार टाइप अनुमोदन परीक्षण के दौरान प्राप्त उपरोक्त वाहन मॉडल का शोर परिमाण पर हार्न और पास के लिए ध्वनि स्तर, उत्सर्जन निम्नानुसार है:

i. टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र सं. : \_\_\_\_\_

ii. ईंधन का प्रकार: \_\_\_\_\_

(उदाहरण: - पेट्रोल / डीजल / सीएनजी / एलपीजी / दोनों / वाईफ्यूल / हाइब्रिड आदि)

iii. वाहनों के लिए उत्सर्जन मान:

तालिका

## पॉजिटिव इश्मिशन इंजन या संपीडन इश्मिशन इंजन वाहन

क्र.सं.	प्रदूषक (जैसा लागू हो)	इकाई (जैसा लागू हो)	मान (3 डेसीमल स्थान तक)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ)	मिग्रा / किमी या मिग्रा / किलो वाट आवर	
2	हाइड्रोकार्बन, (टीएचसी / एचसी)	मिग्रा / किमी या मिग्रा / किलो वाट आवर	
3	गैर-मीथेन हाइड्रोकार्बन (एनएमएचसी)	मिग्रा / किमी या मिग्रा / किलो वाट आवर	
4	ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन (एनओएक्स)	मिग्रा / किमी या मिग्रा / किलो वाट आवर	
4a	एचसी + एनओएक्स	मिग्रा / किमी या मिग्रा / किलो वाट आवर	
4b	टीएचसी + एनओएक्स	मिग्रा / किमी या मिग्रा / किलो वाट आवर	
5	मीथेन (सीएच4)	मिग्रा / किलो वाट आवर	
6	अमोनिया (एनएच3)	पीपीएम	
7	पार्टीक्युलेट मैटर का द्रव्यमान (पीएम)	मिग्रा / किमी या मिग्रा / किलो वाट आवर	
8	कणों की संख्या (पीएन)	संख्या / किमी या संख्या / किलो वाट आवर	

## i. ध्वनी का स्तर (जैसा लागू हो):

- (क) वाहन पर यथास्थापित हॉर्न (कृषि ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण वाहनों के अलावा सभी वाहनों के लिए):  
\_\_\_\_\_ डीबी (ए); (1 डेसीमल स्थान तक)
- (ख) गुजरने वाले या निकट खड़े व्यक्ति की स्थिति: \_\_\_\_\_ डीबी (ए);
- (ग) चालक द्वारा अनुभव किया गया या प्रचालक का श्रवण स्तर (जैसा कृषि ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए लागू): \_\_\_\_\_ डीबी (ए)

(ई-रिक्षा या ई-कार्ट के मामले में निर्माता या  
आयातक या पंजीकृत एसोसिएशन के अनुलिपि हस्ताक्षर का नमूना)

**नोट 1:** ई-रिक्षा या ई-कार्ट के मामले में विधिवत रूप से मुद्रित मुहर के नीचे स्थाही से अनुलिपि हस्ताक्षर के साथ प्रपत्र में विधिवत प्रिंट करके, जैसा लागू हो, यह प्रपत्र निर्माता या आयातक या पंजीकृत एसोसिएशन के हस्ताक्षर के साथ जारी किया जाएगा।

**नोट 2:** कई संयोजनों के मामले में, टेस्ट रिपोर्ट में किसी एक टेस्ट परिणाम से संबंधित मान प्रदान किए जाने होंगे। V2, V3 मामलों के लिए - टेस्ट रिपोर्ट में टेस्ट के परिणाम का औसत मान प्रदान किया जाना होगा।

**नोट 3:** प्रपत्र 22 को प्रिंट करते समय, संबंधित वाहनों के लिए तालिका में संबंधित प्रदूषकों को ही जैसा लागू हो, वाहनों के लिए के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

**नोट 4:** यदि टेल पाइप उत्सर्जन और शोर स्तर के मानकों में परिवर्तन / संशोधन किया गया है, तो इसे इसी प्रपत्र में दिए गए क्रमांक 4 में साथ ही साथ यदि कोई हो तो तालिका में दिए गए क्रमांक 5 (iii) में अतिरिक्त मानदंड जोड़कर दर्शाया जा सकता है।

[सं. आरटी-11028/09/2020-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**नोट -** मूल नियम दिनांक 2 जून 1989 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक ..... की अधिसूचना संख्या ..... के तहत संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2020

**G.S.R. 292(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email : [jspb-morth@gov.in](mailto:jspb-morth@gov.in), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

### DRAFT RULES

- Short title and commencement.**-(1)These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2020  
(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- In the Central Motor Vehicle Rules, 1989,(herein after referred as the said rules) for existing Form 22, the following Form shall be substituted, namely:-

### “Form 22

[See rules 47 (1)(g)]

### ROAD-WORTHINESS CERTIFICATE

For

### Compliance to Emission and Noise Standards

(To be issued by the Manufacturer or Importer or Registered Association in case of E-rickshaw or E-cart, along with the vehicle)

It is certified that the following vehicle complies with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, and the rules made thereunder:

1. Model / Commercial Name of the vehicle : \_\_\_\_\_
2. Chassis number : \_\_\_\_\_  
(Example: - Vehicle Identification Number (VIN) or ATIN or PIN / Trailer Identification Number etc)
3. Engine number (Motor number, in case of Battery-Operated Vehicles): \_\_\_\_\_
4. Applicable Emission norms : \_\_\_\_\_  
(Example :-Bharat Stage- IV / VI /Bharat (Trem) Stage-III /Equivalent as permitted under the act)
5. Emission, Sound Level for Horn and Pass by noise values of the above vehicle model, obtained during Type Approval Testing as per Central Motor Vehicle Rules, 1989 are given below:
  - i. Type Approval certificate No. : \_\_\_\_\_
  - ii. Type of Fuel : \_\_\_\_\_  
(Example :- Petrol / Diesel / CNG / LPG / Dual / Bifuel / Hybrid etc.)
  - iii. Emission values for vehicles:

TABLE”

Positive Ignition Engine or Compression Ignition Engine Vehicles

Sr. No.	Pollutant (as applicable)	Units (as applicable)	Value (upto 3 decimal places)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Carbon Monoxide (CO)	mg/ km or mg/kWh	
2	Hydrocarbon, (THC/HC)	mg/ km or mg/kWh	
3	Non-Methane Hydrocarbon (NMHC)	mg/ km or mg/kWh	
4	Oxides of Nitrogen (NOx)	mg/ km or mg/kWh	
4a	HC + NOx	mg/ km or mg/kWh	
4b	THC + NOx	mg/ km or mg/kWh	
5	Methane (CH <sub>4</sub> )	mg/kWh	
6	Ammonia (NH <sub>3</sub> )	PPM	
7	Mass of Particulate Matter (PM)	mg/ km or mg/kWh	
8	Number of Particles (PN)	Numbers/km or Numbers/kWh	

- iv. Noise level (as applicable):
  - a) Horn (for all vehicles other than agricultural tractors and construction equipment vehicles) as installed on the vehicle: \_\_\_\_\_ dB(A); (upto 1 decimal place)
  - b) Pass by or Bystander's position: \_\_\_\_\_ dB(A);

c) Driver-perceived or Operator's ear level (as applicable for agricultural tractors and construction equipment vehicles): \_\_\_\_\_ dB(A)

(Facsimile Signature of Manufacturer or Importer  
or Registered Association, in case of E-rickshaw or E-cart)

**Note 1:** This Form shall be issued with the signature of the manufacturer or importer or registered association, in case of E-rickshaw or E-cart duly printed in the Form itself by affixing facsimile signature in ink under the hand and seal, as applicable.

**Note 2:** In case of multiple combinations, values pertaining to any one test result in the test report to be provided. For V2, V3 cases - average value of the test result in the test report to be provided.

**Note 3:** While printing Form 22, the relevant pollutants in the table as applicable for the subject vehicles may only be listed.

**Note 4:** In case if there is amendment/revision in the tail pipe emission and noise level norms, same can be reflected in Sr. No. 4 above given in this form as well as by adding additional parameters if any in the TABLE provided at Sr. No. 5(iii).

[No. RT-11028/09/2020-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

**Note.-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and lastly amended vide notification number .....dated